कार्यालय मुख्य अग्नि पत्रांकः न-9/स्कू०भ०मा०-D-PO-143-2023 सेवा में,

अधिकारी देहरादून। दिनांकः अप्रैल , 2023

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक

DOON DEFENCE INTERNATIONAL SCHOOL KH. NO-23 MIN, 25, 26 KA, 28, 28 MIN, 29 MAUZA-MANGLUWALA, PARGANA-PARWADOON, NEAR NALAPANI जनपद—देहरादून।

शमन

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 39544991 दिनांक 11.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा KH. NO-23 MIN, 25, 26 KA, 28, 28 MIN, 29, MAUZA-MANGLUWALA, PARGANA-PARWADOON, NEAR NALAPANI, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (DOON DEFENCE INTERNATIONAL SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापित प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 17.04.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:--

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।

2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल में निर्मित है।

4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के टैरिस में 02 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक तथा 15 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक मय फायर पम्प (7.5 एच.पी. क्षमता) का प्राविधान किया गया है।

भूमिगत पाना टक मय फायर पम्प (7.5 एच.पा. क्षमता) का प्राविधान किया गया है।

5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैट राईजर का प्राविधान किया गया है। वैट राईजर से भवन के प्रत्येक तल में हौजरील (30 मीटर लम्बी मय नाजुल) तथा भूतल मे 01 फायर हाईड्रेन्ट (क्रेडिट बाक्स मे 02 अदद डिलीवरी हौंज पाईप मय साधारण ब्रांच पाईप) का प्राविधान किया गया है।

6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में अग्निशामक यंत्र स्थापित किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा मे हैं।

7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेन्ज ओवर तथा भवन में एमसीपी हूटर लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम०सी०बी० एवं ई०एल०सी०बी० पर आधारित है।

प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।

10. स्वामी / प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्गो / सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।

11. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता

प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर KH. NO-23 MIN, 25, 26 KA, 28, 28 MIN, 29, MAUZA-MANGLUWALA, PARGANA-PARWADOON, NEAR NALAPANI, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (DOON DEFENCE INTERNATIONAL SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्त भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगे। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग—03 की अधिसूचना संख्या—342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें तािक किसी आकिस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें तािक किसी आकिस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर—0135—2716242 एवं पुलिस कन्द्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर—100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0—108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

म्ख्य अस्तिशामिक